

UPMB010019792025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा ।

सत्र परीक्षण संख्या-529/2025

सरकार बनाम भूपेन्द्र अहिरवार,

धारा 69,316(2) बी0एन0एस0

मु0अ0सं0-212/2025

थाना कुलपहाड़ जिला महोबा ।

आरोप

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त **भूपेन्द्र अहिरवार**, को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ:-

प्रथम- यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 30.07.2025 के दो साल पूर्व से स्थान वादिनी मुकदमा/ पीडिता का घर ग्राम भटेवरा थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा में आपने वादिनी मुकदमा/ पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध लैंगिक प्रवेशन हमला/बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-69 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 30.07.2025 के दो साल पूर्व से वादिनी मुकदमा/ पीडिता से पहली बार 49,000/-रूपये व दूसरी बार 45000 रूपये लिये, और वापस नहीं किये जो आपराधिक न्यासभंग करते हुये बेईमानी तरीके से प्राप्त किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-316(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 09.12.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा ।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक: 09.12.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा ।

UPMB010019792025



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या-529/2025

सरकार बनाम भूपेन्द्र अहिरवार,

धारा 69,316(2) बी0एन0एस0

मु0अ0सं0-212/2025

थाना कुलपहाड़ जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **भूपेन्द्र अहिरवार** मय विद्वान अधिवक्ता जेल से न्यायालय उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **भूपेन्द्र अहिरवार** के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-69,316(2) के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.12.2025 को पेश हो।

दिनांक: 09.12.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।